बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

।। संकल्प ।।

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि मो0 जैनुल आबदीन अंसारी, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका सम्प्रति सहायक निबंधक (अ0र0), स0स0, बिहार, पटना के विरूद्ध समुखिया पैक्स हेतु आवंटित गोदाम निर्माण में पूर्व पैक्स अध्यक्ष श्री महेन्द्र मंडल के मिलीभगत से वित्तीय अनियमितता, निर्माण कार्यों का सतत् अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया जाना एवं समुखिया पैक्स प्रबंधकारिणी कमिटि को बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 (यथा संशोधित 2013) के अंतर्गत नियम/धारा के विरूद्ध विघटित किये जाने के आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक–6413 दिनांक–22.12.2025 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदन से आरोप पत्र गठित कर स्पष्टीकरण पूछा गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक–1199 दिनांक–24.02.2026 द्वारा स्मारित किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक–2877 दिनांक–29.05.2026 द्वारा संशोधित आरोप पत्र गठित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तदनुसार पत्रांक–3529 दिनांक–30.06.2026 द्वारा स्मारित किया गया। इसके बावजूद जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका का स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त है।

श्री अंसारी के विरूद्ध गठित आरोप एवं उनसे पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव अप्राप्त रहने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(5)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जायेगी।

2. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में श्री मनोज कुमार सिंह, अपर निबंधक(साख), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री शंभूसेन कुमार, संयुक्त निबंधक (योजना), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप–पत्र की एक–एक प्रति (साक्ष्य सहित) श्री मनोज कुमार सिंह, अपर निबंधक(साख), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना –सह–संचालन पदाधिकारी / श्री शंभूसेन कुमार, संयुक्त निबंधक (योजना), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं मो0 जैनुल आबदीन अंसारी, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका सम्प्रति सहायक निबंधक (अ0र0), स0स0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :../ पटना, दिनांक :..................................
8/नि०को०(रा०)परिवाद–258/2025

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री मनोज कुमार सिंह, अपर निबंधक(साख), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना –सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :......................................./ पटना, दिनांक :.................................
8/नि॰को॰(रा॰)परिवाद–258/2025

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के श्री शंभूसेन कुमार, संयुक्त निबंधक (योजना), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :......................................./ पटना, दिनांक :.................................
8/नि॰को॰(रा॰)परिवाद–258/2025

निबंधित

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ मो0 जैनुल आबदीन अंसारी, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका सम्प्रति सहायक निबंधक (अ0र0), स0स0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :......................................./ पटना, दिनांक :.................................
8/नि॰को॰(रा॰)परिवाद–258/2025

प्रतिलिपि :– निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रशाखा–1), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :......4545......../ पटना, दिनांक :..12/08/26...
8/नि॰को॰(रा॰)परिवाद–258/2025

प्रतिलिपि :– लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/~~आई॰~~ टी॰ मैंनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनु~~लग्नक–यथो~~क्त।

12/08/26
विशेष कार्य पदाधिकारी।

F:\section-8\2025\santosh\sankalo-jainul abdin ansari.doc